—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :—101/2022

उनवान

1. भैरूलाल
2. भंवरलाल पि. सुक्खा जाति कुम्हार निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद, अजमेर।

——वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. हरि सिंह पुत्र जैत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पेरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 10/7/25

अधिवक्ता वादीगण ने उत वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला में वादीगण की कयशुदा खातेदारी/ काश्तकारी की आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
2546 मिन	0.16	2347	0.16
2546 मिन	0.40	2342	0.40
2547 मिन	0.16	2348	0.16
2547 मिन	0.20	2349	0.20
2547 मिन	0.13	2350	0.13
2547 मिन	0.40	2351	0.40
2546 मिन	0.12	2353	0.12
2546 मिन	0.19	2354	0.19
2545	0.16	2344	0.16
2596 मिन	0.22	2343	0.22
2596 मिन	0.04	2410	0.04
2596 मिन	0.04	2411	0.04
2596 मिन	0.28	[illegible]	0.28
2596 मिन	0.18	[illegible]	0.18
2595 मिन	0.02	[illegible]	0.02
2595 मिन	0.16	[illegible]	[illegible]
2540 मिन	0.13	[illegible]	[illegible]
2540 मिन	0.12	2358	0.12

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2537	0.26	2295	0.26
2542	0.26	2377	0.26
2595 मिन	0.34	2414	0.34

उपरोक्त आराजी वादीगण द्वारा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र क्रय की गयी है। ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 2295 रकबा 0.26, 2357 रकबा 0.13, 2358 रकबा 0.12 व 2377 रकबा 0.26 किता 4 रकबा 0.77 पर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व भंवर कंवर पत्नी उमर सिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया है। पूर्व में विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 18.12.1997 को राजस्व अभिलनेख में अमल हो गया था। हाल जमाबंदी बनाते समय बंदोबस्त विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से आराजी मुतनाजा भंर कंवर पत्नी अमर सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी। वादीगण का उक्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। भंवर कंवर पत्नी अमर सिंह का हिस्सा भी प्रतिवादी संख्या 1 ने जरियें नोटरी शुदा इकरारनामा दिनांक 08.11.1997 को वादीगण के नाम करने की सहमती दी है। राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा के बैचान करने पर आमादा है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये किन्तु वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित होने के कारण विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में विक्रय पत्र, सहमती पत्र, राजस्व अभिलेख पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादीगण ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 29.11.75 को आराजी मुतनाजा भंवर सिंह पुत्र रावत सिंह व जैत सिंह पुत्र उदय सिंह से क्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र में मुकिर नम्बर 1 भंवर सिंह ने स्वयं के हिस्से के साथ अपने भाई फतेह सिह का हिस्सा बैचान करने का भी अंकन यह कहते हुये किया है कि उसका भाई किसी कारण वश विक्रय वत्र में शामिल नही हो सका है। इस बाबत सहमती पत्र भी सलंग्न किया है किन्तु विक्रय पत्र में फतेह सिह के हस्ताक्षर नही होने के कारण फतेह सिंह के हिस्से की आराजी का विक्रय नही माना जा सकता है। नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 18.12.1997 को विक्रय पत्र की पालना में आराजी मुतनाजा वंर्किंग खसरा नम्बर 2537, 2540 व 2542 पर गेन्द कंवर पत्नी फतेह सिंह, हरि सिंह पि. जेत सिंह का हिस्सा 1/4 वादीगण के नाम दर्ज किया गया। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी फूलकवर पत्नी मोहन सिंह 1/4 हिस्सा, भंवर कंवर पत्नी उमर सिंह 1/4 हिस्सा, भंवर, फतेह सिंह पि0 रावत सिंह 1/4 हिस्सा व जेत सिंह पि. उदय सिह 1/4 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा तत्कालीन खातेदार फूलकवर पत्नी मोहन सिंह 1/4 हिस्सा, भंवर कंवर पत्नी उमर सिंह 1/4 हिस्सा क्रय नही किया था। हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 2295, 2357, 2358 व 2377 किता 4 रकबा 0.77 की आराजी पर वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है। जो कि वंर्किग जमाबंदी व विक्रय पत्र अनुसार सही है। वादीगण द्वारा प्रकरण में भंवर कंवर पत्नी उमर सिंह को पक्षकार नही बनाया है। जबकि राजस्व अभिलेख में भंवर कंवर पत्नी उमर सिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज है। पक्षकार बनाये बिना सुनवाई का अवसर दिये उसके विरूद्व कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:06 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

निर्णय/आदेश पारित करना न्यायोचित नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र, वंर्किग जमाबंदी च नामान्तकरण से आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। वादीगण द्वारा जिन खातेदारों का जितना रकबा क्रय किया था वह वादीगण के नाम हाल राजस्व अभिलेख में पूर्व अनुसार दर्ज है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 2295 रकबा 0.26, 2357 रकबा 0.13, 2358 रकबा 0.12 व 2377 रकबा 0.26 किता 4 रकबा 0.77 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भैरूलाल बनाम हरि सिंह

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर —101/2022
पेश करने की दिनांक —04.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 2295 रकबा 0.26, 2357 रकबा 0.13, 2358 रकबा 0.12 व 2377 रकबा 0.26 किता 4 रकबा 0.77 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 7 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:06 IST
Reason: SelfAttested